कार्यकारी सार

सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2017 से मार्च 2022 की अवधि में सम्पादित कार्यों पर केन्द्रित करते हुए की गयी थी। इसका उद्देश्य परियोजना से अपेक्षित लाभ प्राप्त करने में हुयी चूक, यदि कोई हुयी हो, की पहचान करते हुए परियोजना के क्रियान्वयन में दक्षता और मितव्ययिता का आंकलन करना था एवं राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में संशोधन एवं सुधार हेतु सुझाव देना था।

सरयू नहर परियोजना का गठन वर्ष 1982 में ₹ 299.20 करोड़ की अनुमानित लागत पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पूर्वी भाग में घाघरा नदी के उस पार के क्षेत्र में 3.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने के लिए 1978 में नियोजित बायाँ तट घाघरा नहर परियोजना के क्षेत्र को बढ़ाते हुए किया गया था। परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के नौ जनपदों को आच्छादित करते हुए 11.29 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र का विकास किया जाना था। 11.29 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र में 14.04 लाख हेक्टेयर की सिंचन क्षमता सृजित की जानी थी। सरयू नहर परियोजना दिसंबर 2021 में लोकार्पित की गयी तथा इस पर मार्च 2022 तक ₹ 10,003.11 करोड़ का व्यय किया गया। सरयू नहर परियोजना हेतु धन, राज्य सरकार के संसाधनों तथा भारत सरकार के द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय परियोजना एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के ऋण से प्राप्त हुआ था।

परियोजना प्रमुखतः, आवश्यक भूमि के अधिग्रहण/क्रय में विलम्ब और विलम्बित वित्त पोषण से विपरीत रूप से प्रभावित रही। विभाग ने कृषकों से भूमि क्रय करने में लंबा समय लिया जिसके कारण न केवल परियोजना विलम्बित हुई अपितु इसमें लागत वृद्धि, जिसमें कृषकों को भूमि प्रतिकर की राशि में बढ़ोत्तरी भी सम्मिलित थी, के फलस्वरूप राजकोष पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ा। परियोजना को वार्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप धन उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण भी कार्य की प्रगति बाधित हुई।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि नहरों के लम्बछिन्नक और पक्के कार्यों की संरचनाओं की ड्राइंग अनुमोदित किये बिना कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन तैयार किये गये थे जिसके फलस्वरूप अनुबंधों की कार्य परिधि में वृहद बदलाव हुए।

लागत अनुमान, दर अनुसूची और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में निर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार तैयार नहीं किये गये थे जिसके कारण कार्य के प्राक्कलनों में अनुमानों को बढ़ाकर बनाये जाने के प्रकरण थे।

अनुबंध प्रबंधन कमजोर था। निविदायें बिना तकनीकी स्वीकृति के आमंत्रित की गयी थीं। निविदादाताओं को निविदा जमा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। अधिक व्यय तथा ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के प्रकरण संज्ञान में आये। कार्यों के निष्पादन में गुणवत्ता आश्वासन कमजोर रहा क्योंकि मिट्टी के कार्यों और पक्के कार्यों के लिए गुणवत्ता जांचे निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं की गयी थीं।

परियोजना दिसंबर 2021 में कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से लगभग 40 वर्ष पश्चात लोकार्पित की गयी। यद्यपि, कई नहरें अपूर्ण रह गयी थीं/निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ था। कुलाबों और सम्प्स के अभाव में नहरों से खेतों तक जल ले जाने के लिए राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणालियों का उपयोग नहीं किया जा रहा था। समादेश क्षेत्र विकास का कार्य मात्र 20 प्रतिशत कृषि योग्य समादेश क्षेत्र में ही पूर्ण किया गया था जिससे नहरों से खेतों तक जल प्रवाह बाधित हो रहा था।

अनुशंसायें

- *राज्य सरकार को परियोजना की आवश्यकताओं के त्रुटिपूर्ण आकलन के कारणों की जांच करनी चाहिये जिसके कारण कार्य संपादन की अवधि में, इसके कार्य की परिधि में वृहद बदलाव हुए और परियोजना की पूर्णता में परिणामी विलम्ब हुआ।*
- *राज्य सरकार को विकास हेतु आवश्यक कार्यों का सही आंकलन करने और सिंचाई के प्रभावी नियोजन हेतु सरयू नहर परियोजना से वास्तविक रुप से आच्छादित क्षेत्र का निर्धारण करने के लिये भूमि सर्वेक्षण करना चाहिये।*
- *कई योजनाओं/कार्यक्रमों में समय और लागत वृद्धि की स्थिति बनी रहने के दृष्टिगत, राज्य सरकार को परियोजना निष्पादन में हुई चूक और विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण करना चाहिये।*

- *राज्य सरकार को उन परिस्थितियों का पता लगाना चाहिये जिसके कारण डिज़ाइन, ड्राइंग एवं कार्य की मात्राओं को अंतिम रुप दिये बिना कार्यों के ठेके दे दिये गये थे।*
- *परियोजना की प्रमुख संरचनाओं के निर्माण की गुणवत्ता का सत्यापन किया जाना चाहिये।*
- *नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा, तकनीकी निरीक्षण और अभिलेखों एवं दस्तावेजों के रखरखाव के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण तंत्र सुदृढ़ किया जाना चाहिये ।*
- *राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के अंतर्गत निर्मित नहरों को कुलाबों तथा सम्प्स एवं कुलाबों से आगे गुलों एवं नालियों का निर्माण करके तत्काल उपयोग में लाया जाना चाहिये ।*
- *सरयू नहर परियोजना के समादेश क्षेत्र में पर्याप्त जल, विशेषकर रबी मौसम में, उपलब्ध कराने हेतु समाधानों की पहचान करने की तत्काल आवश्यकता है जिससे कि कृषकों को अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके।*
- *नहर तंत्र में उपलब्ध जल का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये जल उपयोगकर्ता संघों का गठन शीघ्र किया जाना चाहिये।*
- *सृजित संपत्तियों का रखरखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिये जिससे कि अपेक्षित लाभ प्राप्त करने हेतु इन्हें उपयोग करने योग्य बनाये रखा जाये।*